Dr. B.R. Ambedkar University of Social Sciences
(State University, Government of M.P.)
Dr. Ambedkar Nagar (Mhow) – 453441, Indore (M.P.), India
Phone : (07324) 274377, Fax : (07324) 272350
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय
(राज्य विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश शासन)

क्रमांकः ब्राउस/स्था/2020/2235 दिनांक : 23.03.2020

"आदेश"

नोवल कोरोना वाइरस (COVID-19) की रोकथाम के लिए अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 38(B)/ए.सी.एम/जी.ए.डी./2020 दिनांक 22.03.2020 एंव कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के आदेश क्रमांक 336/पी.ए./2020 इन्दौर दिनांक 23.03.2020 द्वारा जारी निर्देश के अनुक्रम में इस विश्वविद्यालय में निम्नांकित व्यवस्थाएं तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित की जाती हैः–

1. विश्वविद्यालय में कार्यरत अमले को अस्थाई रूप से दिनांक 31 मार्च 2020 तक अपना कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने की अनुमति दी जाती है। निवास स्थान पर किये गए कार्य की रिपोर्ट कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करनी होगी।
2. दिनांक 23 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक की उक्त अवधि को समस्त प्रयोजनो के लिए कर्तव्य अवधि माना जायेगा।
3. यह आदेश उन अधिकारियों एंव कर्मचारियों पर लागू नही होगा अथवा उस सीमा तक लागू नही होगा जो इस अवधि में अथवा इसके किसी अंशभाग के लिए किसी भी स्वरूप के पूर्व से अवकाश पर है।
4. उक्त अवधि का उपयोग अधिकारियों एंव कर्मचारियों द्वारा कार्यलयीन कार्य निवास से सम्पादित करने के लिए किया जायेगा।
5. किसी भी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास से कार्यालय में विश्वविद्यालयीन कार्य के लिए आहुत किया जा सकेगा। इस हेतु सभी अमले के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाइल नम्बर, दूरभाष नम्बर एंव निवास का पता कर्यालय में तथा कार्यालय/संस्था प्रमुख को तत्काल प्रदान करेंगे।
6. यह आदेश विश्वविद्यालय की किसी अत्यावश्यक सेवाएं जैसे – स्वास्थ्य, सुरक्षा, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ–सफाई से जुड़ा अमला इत्यादि पर लागू नही होगा।
7. यह आदेश दिनांक 31 मार्च 2020 तक लागू रहेगा। उक्त तिथि के बाद तत्यमय की परिस्थितियों के आधार पर पुनः परीक्षण कर आगामी निर्णय लिया जायेगा।

नोटः– विश्वविद्यालय प्रांगण में प्रवेश पूर्णतः निषेध रहेगा। विशेष परिस्थिति में ही अनुमति दी जायेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

1. महामहिम राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनर्थ प्रेषित।
3. कुलपति के निज सचिव, ब्राउस की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी इन्दौर, कार्यालय कलेक्टर इन्दौर की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त अधिष्ठाता/विभागप्रमुख को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. परिसर विकास प्रभारी, ब्राउस की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
7. विश्वविद्यालय सुरक्षा प्रभारी, ब्राउस की ओर आवश्यक काार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
8. समस्त अधिकारी/कर्मचारियों की ओर आवश्यक कार्यवाही एंव सूचनार्थ।

M.K. Tiwari
कुलसचिव

Scanned with CamScanner